कार्यालय–निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रारं / पीएसपी / मूल मान्यता / 19654 / 2023--24 दिनांक– 17.05.24

ई मेल

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय),
प्रारंभिक शिक्षा,

विषयः–शैक्षिक सत्र 2024–25 में गैर सरकारी विद्यालयों से प्राप्त मान्यता / क्रमोन्नति आदि के आवेदनों पर कार्यवाही करने बाबत।

प्रसंगः–शासन का पत्र क्रमांक प.9(50)शिक्षा–5 / मान्यता दिशा–निर्देश / 2023 दिनांक 13.05.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान शासन सचिव महोदय द्वारा दिनांक 22.03.2024 को आयोजित बैठक में गैर सरकारी विद्यालयों के मान्यता / क्रमोन्नति आदि के प्रकरणों में नियमानुसार निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. शैक्षिक सत्र 2024–25 में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा नवीन मान्यता / क्रमोन्नति / प्रबंध अंतरण / मान्यता समर्पण आदि प्राप्त किये जाने के लिए ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निम्नांकित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र.स.	गतिविधि	निस्तारण की अंतिम तिथि	संबंधित कार्यालय
1	दिनांक 31.03.2024 तक ऑनलाईन प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन को निदेशालय ऑनलाईन फॉरवर्ड कर, हार्ड कॉपी जमा करवाना	30.05.2024	संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं जिशिअ(मु) प्राशि कार्यालय
2	दिनांक 31.05.2024 तक ऑनलाईन प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन को निदेशालय ऑनलाईन फॉरवर्ड कर, हार्ड कॉपी जमा करवाना	15.06.2024	संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं जिशिअ(मु) प्राशि कार्यालय
3	दिनांक 30.06.2024 तक ऑनलाईन प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन को निदेशालय ऑनलाईन फॉरवर्ड कर, हार्ड कॉपी जमा करवाना	15.07.2024	संबंधित संस्था, नरीक्षण दल एवं जिशिअ(मु) प्राशि कार्यालय

Validity unknownSignature valid

RajKaj Ref
7230611

Digitally signed by S... Ram Jat
Designation : Direc...
Date: 2024.0... :42:18 IST
Reason: Approv...

4	दिनांक 31.07.2024 तक ऑनलाईन प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन को निदेशालय ऑनलाईन फॉरवर्ड कर, हार्ड कॉपी जमा करवाना	15.08.2024	संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं जिशिअ(मु) प्राशि कार्यालय
5	निदेशालय द्वारा आवेदनों का अनुमोदन करना	15.08.2024	निदेशालय प्राशि
6	नियमानुसार संबंधित संस्थाओं से एफ डी एवं डीडी प्राप्त कर, आवेदनों का स्वीकृति/निरस्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	15.08.2024	संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं जिशिअ(मु) प्राशि कार्यालय

2. विभिन्न गैर सरकारी विद्यालयों के नवीन मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदनों को नामंजूर/खारिज किये जाने के उपरांत–राज्य सरकार के स्तर से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के नियम 92 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में संस्था के आवेदन में लगाये गये सभी आक्षेपों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने का शपथ प्रस्तुत करने के आधार पर शिथिलन प्रदान किये गये। उक्त प्रकरणों में एक वर्ष का समय पूर्ण होने के उपरांत उनकी मॉनिटरिंग कर विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति के संबंध में पुनः जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

Validity unknownSignature valid

RajKaj Ref
7230611

Digitally signed by S[illegible]Ram Jat
Designation : Direc[illegible]
Date: 2024.0[illegible]:42:18 IST
Reason: Approv[illegible]